UPVR010067882024

IN THE COURT OF ASJ/F.T.C. (14th Finance comm.) AT, Varanasi
(Presided Over by Manoj Kumar -II)
Sessions Case/560/2024

राज्य

अभियोजन पक्ष

बनाम

अखिलेश मिश्रा पुत्र रामाशंकर मिश्रा,
निवासी- जोगापुर, मिर्जामुराद, गोमती, (कमिश्नरेट), जनपद वाराणसी।

अभियुक्त

मु.अ. संख्या- 75/2024
धारा- 8/20 NDPS, Act
थाना- मिर्जामुराद, वाराणसी।

निर्णय

1. अभियुक्त अखिलेश मिश्रा के विरुद्ध थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 75/2024, अन्तर्गत धारा- 8/20 NDPS, Act विचारण हेतु आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक का संक्षेप में सारांश यह है कि दिनांक 06/04/2024 को वादी मुकदमा/प्रार्थी उ.नि. धीरज कुमार सिह मय हमराह उ0नि0 प्रशिक्षु कौशल किशोर, का० रजनीश कुमार, कां. पियूष कुमार के बगरज देखभाल क्षेत्र भ्रमण तलाश वांछित एवं वारंटी एंव प्रचलित अभियान में मामूर होकर भोरकला (लखवा चट्टी) पर मौजूद थे कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि जोगापुर से जोगियापुर की तरफ एक व्यक्ति सफेद झोला लेकर जा रहा है, जिसके पास नाजायज गांजा है, और गांजा बेचने के फिराक में कही जा रहा है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है, कि मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके प्रार्थी/उ.नि. मय हमराहियान मय मुखबिर के जोगियापुर पुलिया की तरफ गये, तो गाड़ी की रोशनी में जोगापुर की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक सफेद झोला था। मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि यह वही व्यक्ति है जिसके पास नाजायज गांजा है, यह बताकर मुखबिर खास वहाँ से हट बढ गया हम पुलिस वाले उस व्यक्ति के पास पहुँचे कि पुलिस वालो को देख वह व्यक्ति पीछे मुड़कर भागना चाहा कि हिकमत अमली से घेर घार कर रोका गया और भागने के सम्बन्ध में नाम, पता पूछा तो अपना नाम अखिलेश मिश्रा पुत्र रामाशंकर मिश्रा उम्र 30 वर्ष बताया तथा बताया कि वह पकड़े जाने के डर से भागना चाहा कारण पूछने पर बताया कि उसके पास गांजा है। भागना चाहा कि आप लोग द्वारा उसे पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से गांजा रखने के अधिकार पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। इसलिए नियमानुसार धारा 50 एन.डी.पी.एस., एक्ट के प्रावधानो के अनुसार उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजि० के समक्ष होगी या कहो तो यही पर बुला लिया जाय। इस पर पकड़े गये व्यक्ति कहने लगा कि जब आप लोगो द्वारा उसे पकड़ लिया गया है, तो आप लोग ही उसकी तलाशी ले लिजिए उसे अपनी तलाशी के लिए किसी राजपत्रित/मजिस्ट्रेट की

Digitally signed by MANOJ KUMAR
Date: 2026.07.27 17:12:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवश्यकता नही है और नही कही जाना है। उसे उन लोगो पर पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ही मौके पर जामा तलाशी के लिये लिखित जामा तलाशी सहमति पत्र लिखकर देना होगा। उसने कहा कि आप ही सहमति पत्र लिख दे, वह उस पर अपना हस्ताक्षर बना देगा। इस पर अलग से सहमति पत्र तैयार कर हस्ताक्षर बनवाया गया। पुलिस वाले आपस में एक-दूसरे का जामा तलाशी लेकर-देकर इत्मिनान किये कि किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नही है। तत्पश्चात गवाहान फराहम का प्रयास किया गया तो कोई तैयार नही हुआ।

पकड़े गये व्यक्ति की नियमानुसार जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ में एक सफेद रंग का झोला जिसमे टेप लगा हुआ गांजा का बंडल निकाल कर दिया। जिसे खोलकर चेक किया गया तो भूरे रंग का कालेदार गांजा लग रहा है। जिसे सूंघकर हमराही कर्मचारीगण को सूंघाकर देखा गया तो गांजे की गंध आ रही है। पकडे गये व्यक्ति का कृत्य धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अपराध का बोध कराते हुये कारण गिरफ्तारी बताकर समय 19.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद गांजा को कब्जा पुलिस में लेकर तौल किया गया तो बरामद गांजा 5.400 किलोग्राम बरामद हुआ। इस प्रकार झोले में रखे बडल से 100 ग्राम गांजा नमुना हेतु निकाल कर अखबारी कागज में लपेटकर सफेद कपड़े में रखकर तथा शेष गांजा 5.300 कि0 ग्रा0 को उसी सफेद झोले में रखकर सील सर्वमुहर कर बतौर नमुना मुहर तैयार किया गया। दौराने गिरफ्तारी व बरामदगी रास्ते में कुछ राहगीर आ गये जिनसे गवाही हेतु आग्रह किया गया तो भलाई बुराई के कारण बिना नाम पता बताये हट बढ़ गये। दौराने गिरफ्तारी और बरामदगी मा० सर्वोच्च न्यायालय एव मानवाधिकारो के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार किया गया। अभियुक्त के परिजनो को गिरफ्तारी की सूचना अकब से दी जायेगी।

3. बरामदशुदा माल व मुल्जिम को थाना मिर्जामुराद, वाराणसी पर दाखिल किया गया, जहां पर अभियुक्त अखिलेश मिश्रा के विरुद्ध मु.अ.सं. 75/2024 अन्तर्गत धारा- 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट पंजीकृत किया गया तथा कायमी मुकदमें का इन्द्राज सामान्य डायरी में किया गया। वादी मुकदमा के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी तैयार किया तथा धारा-161 दं.प्र.सं. अभिलिखित किया तथा बरामद माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, वाराणसी परीक्षण हेतु भेजा गया। विवेचना की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् विवेचक द्वारा मामले को सही पाते हुये अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट का मामला पाये जाने पर उपरोक्त धारा के अन्तर्गत आरोप पत्र को न्यायालय में प्रेषित किया, जिस पर न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया तथा उसके विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा आरोप अन्तर्गत धारा- 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट दिनांक 18.09.2024 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित आरोप को युक्ति युक्त एवं सन्देह से परे साबित करने हेतु मौखिक साक्षी के रूप में निरीक्षक धीरज कुमार सिंह को पी.डब्लू. 01 के रूप में प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त साक्षी द्वारा अपने सशपथ बयान में सहमति पत्र प्रदर्श क-1, फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-2, गिरफ्तारी प्रपत्र को प्रदर्श क-3 तथा प्लास्टिक का झोले को वस्तु प्रदर्श-1, अखबारी कागज को वस्तु प्रदर्श-2 व अवैध गांजा को वस्तु प्रदर्श-3 के रूप में साबित किया गया है।

5. तदोपरान्त साक्ष्य के स्तर पर अभियुक्त की ओर से अपराध की संस्वीकृति हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त को जुर्म स्वीकृति प्रार्थनापत्र के प्रभाव से अवगत

कराते हुए जुर्म स्वीकृति के सम्बन्ध में पुर्नविचार का अवसर प्रदान किया गया, बावजूद इसके अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकृति का स्वैच्छिक कथन किया गया तथा अन्य अभियोजन प्रपत्रों की मौलिकता स्वीकार की गयी तथा आरोप पत्र प्रदर्श क-4, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-5, जी.डी. विवरण को प्रदर्श क-6, नक्शा नजरी प्रदर्श क-7, विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट को प्रदर्श क-8 अंकित किया गया तथा तत्पश्चात अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

6. अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक के अनुरूप लगाये गये आरोप को स्वीकार करते हुए अपने कब्जे से गांजा बरामद होना स्वीकार किया गया तथा यह कथन किया कि ‘‘वह बहुत गरीब है तथा परिवार का एक मात्र मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, अतः कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाय। वह दुबारा कोई अपराध नही करेगा’’

7. प्रश्नगत प्रकरण में मैंने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसल अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

8. प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि दिनांक 06.04.2024 को समय 20:42 बजे स्थान जोगापुर तिराहा अन्तर्गत थाना मिर्जामुराद, वाराणसी में वादी मुकदमा उ.नि. धीरज कुमार सिंह एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभियुक्त को पकड़ा गया तथा पुलिसकर्मियों द्वारा उसकी नियमानुसार जामातलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 5.400 किलोग्राम गांजा अवैध रूप से बरामद किया गया, जिसे रखने के संबंध में अधिकार पत्र तलब किये जाने पर अभियुक्त अनुज्ञापत्र दिखाने में कासिर रहा।

9. अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्लू. 01 के रुप में साक्षी निरीक्षक धीरज कुमार सिंह ने अपने मौखिक साक्ष्य में बयान दिया है घटना दिनांक 06/04/2024 को वह उ.नि. धीरज कुमार सिह मय हमराह उ.नि. प्रशिक्षु कौशल किशोर, कांस्टेबल रजनीश कुमार, का० पियूष कुमार के बगरज देखभाल क्षेत्र भ्रमण तलाश वांछित एव वारंटी एंव प्रचलित अभियान में मामूर होकर भोरकला (लखवा चट्टी) पर मौजूद थे कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि जोगापुर से जोगियापुर की तरफ एक व्यक्ति सफेद झोला लेकर जा रहा है, जिसके पास नाजायज गांजा है, और गांजा बेचने के फिराक में कही जा रहा है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है, कि मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके उ.नि. मय हमराहियान व मुखबिर के जोगियापुर पुलिया की तरफ गये, तो गाड़ी की रोशनी में जोगापुर की तरफ से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसके हाथ में एक सफेद झोला था। मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि यह वही व्यक्ति है जिसके पास नाजायज गांजा है, यह बताकर मुखबिर खास वहाँ से हट बढ गया पुलिस वाले उस व्यक्ति के पास पहुँचे कि हमको देख वह व्यक्ति पीछे मुड़कर भागना चाहा कि हिकमत अमली से घेर घार कर रोका गया और भागने का कारण व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अखिलेश मिश्रा बताया तथा बताया कि उसके पास गांजा मौजूद है, इसलिए पकड़े जाने के डर से भागना चाहा कि उन लोगो द्वारा उसे पकड़ लिया गया। गांजा होने की जानकारी होने पर उसके द्वारा पकड़े गए व्यक्ति को उसके विधिक अधिकारों से अवगत कराते हुए बताया गया तथा एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के प्रावधानों का अनुपालन कराया गया, इस पर पकड़ा गया व्यक्ति कहने लगा कि जब उसे पकड़ लिया गया है तो उसे तलाशी के लिए किसी राजपत्रित/मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं है और ना ही उसे कहीं जाना है और न ही किसी को बुलाना है, उसे आप लोगो पर पूर्ण विश्वास है, वह आपको सब सच-सच

बता रहा है, आप ही उसकी जामा तलाशी ले लें, इस पर उसके द्वारा पकड़े गए व्यक्ति से बाबत जामा तलाशी सहमति पत्र तैयार किया गया, जिसे अभियुक्त को पढ़-सुनकर अपने हस्ताक्षर बनाया गया, इस पर साक्षी द्वारा सहमति पत्र जो पत्रावली में कागज सं. 13 क से सामिल मिसिल है, उसके हस्तलेख में तैयार किया गया, जिसे पढ़ कर, सुनकर अभियुक्त ने अपने हस्ताक्षर बनाए एवं उसने भी अपने हस्ताक्षर बनाए। उपरोक्त सहमति पत्र पत्रावली में कागज सं. 13 क से सामिल मिसिल है, जिस पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त व पुष्टि किया, जिसे प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया गया। बादहूं प्राप्त कर सहमति पत्र बाबत जामा तलाशी पुलिस वालो ने अभियुक्त के समक्ष आपस में एक-दूसरे की जामा तलाशी लेकर देकर इत्मिनान किया व अभियुक्त को कराया कि वह लोगों में से किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नही है। तत्पश्चात गवाहान फराहम का प्रयास किया गया तो कोई कोई तैयार नही हुआ। बादहूं इत्मिनान अभियुक्त/पकड़े व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो उसके दाहिने हाथ में एक सफेद रंग का झोला जिसमें टेप लगा हुआ गांजा का बंडल निकाल कर दिया, जिसे खोलकर चेक किया गया तो भूरे रंग का कालेदार गांजा लग रहा है। जिसे सूंघकर हमराही कर्मचारी गण को सूघांकर देखा गया तो गांजे की गंध आ रही है एवं उसके भौतिक सत्यापन से भी वो गांजा प्रतीत हो रहा था। इस पर पकड़े व्यक्ति से गांजा रखने के बाबत अधिकार पत्र की मांग की गई, जिसे प्रस्तुत करने में वह कासिर रहा। इस पर पकड़े गये व्यक्ति को उसका आपराधिक कृत्य बताते हुए अन्तर्गत धारा 8/20 NDPS ACT के अपराध का बोध कराते हुये कारण गिरफ्तारी बताकर समय 19.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा बरामद गांजा को इलेक्ट्रानिक मशीन से तौल किया गया तो बरामद गांजे का वजन 5.400 कि० ग्रा० पाया गया। इस प्रकार झोले में रखे बंडल में से 100 ग्राम गांजा वास्ते परीक्षण नमूना हेतु निकाल कर अखबारी कागज में लपेटकर सफेद कपड़े में रखकर तथा शेष गांजा 5.300 कि0 ग्रा0 को उसी सफेद झोले में रखकर सिलकर, सील कर सर्वमुहर कर बतौर नमूना मुहर तैयार किया गया। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी रास्ते में कुछ राहगीर आ गये जिनसे गवाही हेतु आग्रह किया गया तो भलाई बुराई के कारण बिना नाम पता बताये हट बढ गये। दौरान गिरफ्तारी और बरामदगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एंव माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेशों व दिशा निर्देशो का अक्षरशः पालन किया गया। गिरफ्तारी मेमो मौके पर तैयार किया गया। अभियुक्त के पिता रमाशंकर जी को गिरफ्तारी की सूचना अकब से दी गई। फर्द मौके पर मुझ उ0नि0 द्वारा उ0नि0 प्रशिक्षु कौशल किशोर से बोल बोल कर टार्च की पर्याप्त रोशनी में लिखवाई गई, जोकि पत्रावली में कागज सं. 5 क से सामिल मिसिल है, जिसे पढ़कर, पढवाकर, सुनकर, सुनाकर सर्व सम्बन्धित के आलामात बनाये गए थे। उपरोक्त फर्द पर मेरे भी हस्ताक्षर मौजूद हैं, जिसकी शिनाख्त व पुष्टि वह करता है, जिसे प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया। तत्पश्चात मौके पर गिरफ्तारी प्रपत्र, जोकि पत्रावली में कागज सं. 14 क से सामिल मिसिल है, जिसे पढ़कर, सुनकर, सुनाकर संबंधित के अलामात उस पर बनवाए गए थे। मैं उपरोक्त गिरफ्तारी प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त व पुष्टि करता है, जिसे प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गई। तत्पश्चात मौके पर समाप्त कर समस्त कार्यवाही मय माल व अभियुक्त थाने पहुंच कर थाने पर समाप्त कर समस्त कार्यवाही माल को सुपुर्द मालखाने व अभियुक्त को सुपुर्द मर्दाना लॉकअप किया गया। उसने विवेचक को अपना बयान दिया था। उनको मौका मुआयना दिखाया था, जिसके आधार पर उन्होंने मौके पर उसके सामने मौके का नक्शा नजरी तौयार किया था।

अग्रेतर अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 का अपनी मुख्य परीक्षा में कथन है कि

गिरफ्तारी एवं बरामदगी की सूचना पुलिस के उच्चाधिकारियों को जरिये आर.टी. सेट दी गयी थी। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के पिता रमाशंकर मिश्रा को दी गयी थी माल मुकदमाती सफेद प्लास्टिक के झोले में थाने के पैरोकार द्वारा सील सर्व मुहर व दुरुस्त हालत में समक्ष अदालत लाया गया है, जिस पर विवरण "मु.अ.सं. 75/24 धारा 8/20 एऩ.डी.पी.एस. एक्ट बनाम अखिलेश कुमार बरामदशुदा पांच किलो तीन सौ ग्राम नाजायज गांजा" अंकित है, इस पर उसका तथा अभियुक्त हस्ताक्षर मौजूद हैं, इस पर अन्य हमराहियान एस.आई. कौशल किसोर, कां. पियूष, कां. रजनीश के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं तथा इस पर रिमाण्ड न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2024 को सीन किये जाने का अंकन भी मौजूद है। साक्षी ने इस पर लगी अपनी सील की पहचान की तथा इस पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त व पुष्टि की। प्लास्टिक के झोले पर वस्तु प्रदर्श-1 डाला गया। माननीय न्यायालय के आदेश से वस्तु प्रदर्श-1 की सील को तोड़कर खोला गया, जिसके अंदर अखबारी कागज में लिपटा हुआ धागे से बंधा हुआ एक बंडल मिला, जिसको देखा गया तो उसमें नाजायज गांजा प्लास्टिक के लाल रंग के धागे से बंधा हुआ पाया गया। अखबारी कागज पर वस्तु प्रदर्श-2 तथा उसके अंदर मौजूद नाजायज गांजा पर वस्तु प्रदर्श-3 एक पर्चे पर लिखकर डाला गया।

अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू. 01 धीरज कुमार सिंह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि वह 2024 से मिर्जामुराद थाने में तैनात है। जब से उसकी तैनाती है, तब से वह इसी पद पर है। मुखबिर ने उसे दिनांक 06.04.2024 को अभियुक्त के बारे में आकर सूचना दी थी। उसे मुखबिर खास ने उपरोक्त दिनांक को समय लगभग 7.00 बजे शाम को अभियुक्त के बारे में सूचना दी थी। वह लोग उस समय लखवा चट्टी पर मौजूद थे और तुरंत अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चले गये थे। मुखबिर सहित 6 लोग अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गये थे। घटना स्थल पर कोई दुकान नहीं थी, केवल एक मंदिर थी। जब वह लोग घटना स्थल पर पहुंचे उस समय लगभग शाम के 7.00 बजे होंगे। पुलिया के आगे मंदिर था, जहां से वह लोगों ने अभियुक्त अखिलेश मिश्रा की गिरफ्तारी की थी। हम मुखबिर के बताने पर वह लोग ने अखिलेश मिश्रा को पहचाना कि यह वही अभियुक्त है। जब वह लोग अभियुक्त को पकड़ने जा रहे थे, तो उसने भागने का प्रयास किया। उसे अभियुक्त के पास से एक प्लास्टिक का थैला मिला। जब उसने पूछा तो अभियुक्त ने बताया कि इसमें नाजायज गांजा है। अभियुक्त द्वारा उसे बताया गया इसलिए उसे पता है कि थैले में गांजा था। फर्द मौके पर ही तैयार की गयी थी। उसने अभियुक्त को उसके अधिकारों से अवगत कराया कि उसकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी, उनको यहां बुला लें या आपको वहां ले चलें, अभियुक्त द्वारा बताया गया कि जब आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया है और उसने आपको सब बता दिया है तो आप ही उसकी जामा तलाशी ले लें। अभियुक्त से सहमति पत्र मांगा गया तो अभियुक्त ने बताया कि वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसे कानून की जानकारी नहीं है, आप सहमति पत्र बनवा दें, जिसे पढ़कर सुनकर वह अपने हस्ताक्षर बना देगा। उसने अभियुक्त अखिलेश मिश्रा से ये नहीं जानने का प्रयास किया था कि वह यह गांजा कहां से लेकर आ रहा था और कहां लेकर जा रहा था। घटना स्थल पर मौजूद जनता के लोगों से गवाही के लिए कहा गया तो लोग वहां से हट-बढ़ गये। उसने जनता के लोगों द्वारा गवाही न देने पर धारा 179 आई.पी.सी. के अंतर्गत उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वह बिना नाम, पता बताए हट-बढ़ गये थे। थाने के माध्यम से अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके पिताजी को दी गयी थी। अभियुक्त के पिताजी को गिरफ्तारी की सूचना किस माध्यम से दी गयी थी यह वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि वह न्यायालय में झूठी

गवाही दे रहा है।

उक्त साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नही आया है, जिससे उक्त साक्षी की विश्वसनीयता खण्डित होती हो।

10- अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकृति प्रार्थना पत्र के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का कोई मौखिक या अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

11- पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है दिनांक 06.04.2024 को समय 20:42 बजे स्थान जोगापुर तिराहा अन्तर्गत थाना मिर्जामुराद, वाराणसी में वादी मुकदमा उ.नि. धीरज कुमार सिंह एवं अन्य पुलिस कर्मचारियों द्वारा अभियुक्त को पकड़ा गया तथा पुलिसकर्मियों द्वारा उसकी नियमानुसार जामातलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 5.400 किलोग्राम गांजा अवैध रूप से बरामद किया गया, जिसे रखने के संबंध में अधिकार पत्र तलब किये जाने पर अभियुक्त अनुज्ञापत्र दिखाने में कासिर रहा। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 9क विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट की प्रमाणित छायाप्रति दिनांकित 30.04.2024 के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त के पास से बरामद मादक पदार्थ का विश्लेषण करने पर गांजा पाया गया, जिसकी पुष्टि स्वयं अभियुक्त द्वारा अपने बयान जुर्म संस्वीकृति व बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता से भी होती है।

12- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य तथा अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध की संस्वीकृति के आधार पर यह संदेह से परे साबित है कि अभियुक्त के कब्जे से 5.400 किलोग्राम गांजा अवैध बरामद किया, जिसे रखने का लाईसेन्स अभियुक्त अखिलेश मिश्रा के पास नही था। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 50 एन.डी.पी.एस., एक्ट के उपबन्धों का अनुपालन किया गया।

13- इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य तथा अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध की संस्वीकृति के आधार पर उसके विरूद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 का अपराध साबित है और वह उक्त धारा के अधीन दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। अतः अभियुक्त अखिलेश मिश्रा को धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **अखिलेश मिश्रा** को सत्र परीक्षण संख्या- 560/2024 मुकदमा अपराध संख्या- 75/2024 थाना- मिर्जामुराद, जिला-वाराणसी के अपराध में अंतर्गत धारा-8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्त अखिलेश मिश्रा आज जिला कारागार से न्यायालय में उपस्थित है। दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः 27.07.2026

(मनोज कुमार -II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे.ओ. कोड-UP1827

UPVR010067882024

IN THE COURT OF ASJ/F.T.C. (14th Finance comm.) AT, Varanasi
(Presided Over by Manoj Kumar -II)
Sessions Case/560/2024

दिनांकः 27.07.2026

पत्रावली बाद लंच पेश हुयी। दोषसिद्ध अखिलेश मिश्रा जिला कारागार, वाराणसी से आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित है एवं अधिवक्तागण विशेष लोक अभियोजक श्री सुनील कुमार सिंह व अरविन्द श्रीवास्तव को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्त द्वारा कहा गया कि वह बहुत गरीब है। उसके घर परिवार की देखभाल करने वाला अभियुक्त के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अभियुक्त का यह भी कथन है कि वह रिहा होने के पश्चात् अन्य किसी अपराध में शामिल नहीं होगा। जबकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह कहा गया कि दोषसिद्ध द्वारा अपने जुर्म को स्वेच्छया स्वीकार किया गया है, इसलिए वह किसी छूट को पाने का हकदार नहीं है। वह विधिक प्राविधान के अनुसार निर्धारित दण्ड से दण्डित किये जाने योग्य है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की किसी मामले में पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है ।

उभयपक्ष को सुनने व दोषसिद्ध की आयु, पारिवारिक, आर्थिक व शारीरिक स्थिति तथा दोषसिद्ध से बरामद मादक पदार्थ गांजा की मात्रा, मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अखिलेश मिश्रा को निम्नलिखित दण्डादेश से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

दोषसिद्ध **अखिलेश मिश्रा** को अपराध अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट हेतु जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास तथा मु. 5,000/-रू0 (पाँच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न किये जाने पर दोषसिद्ध एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतेगा।

दोषसिद्ध का सजायावी वारंट अविलम्ब तैयार कर जिला कारागार प्रेषित किया जाये। माल मुकदमाती बाद मियाद अपील या अपील होने की दशा में अलीपीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जाये। निर्णय की एक प्रति अविलंब दोषसिद्ध को निशुल्क प्रदान की जाये।

दिनांकः 27.07.2026

(मनोज कुमार -II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

(मनोज कुमार -II)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
द्रुतगामी (14 वॉ वित्त आयोग), वाराणसी।
जे0 ओ 0 कोड- UP1827

दिनांकः 27.07.2026
शहबाज़